न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 09/2019

अजमेर सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह जाति बाजीगर निवासी चक 20 एम एल तहसील वा जिला श्रीगंगानगर राज0

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. नसीब कौर पत्नी पाला सिंह जाति बाजीगर निवासी 13 एफ बड़ा गुरू की ढाणी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर राज0
2. दर्शन सिंह पुत्र श्री पाला सिंह जाति बाजगीर निवासी 13 एफ बड़ा गुरू की ढाणी तहसील वा जिला श्रीगंगानगर राज0
3. एच डी एफ सी बैंक शाखा केसरीसिंहपुर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर राज0

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ओमप्रकाश बतरा — प्रार्थी
2. श्री बलविन्द्र सिंह — अप्रार्थी संख्या–1 व 2

दिनांक :– 16.03.2021

–:: आदेश ::–

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी स0 1 के नाम चक 13 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर का खातां सख्या 27/79 मुरबा न0 26 किला न0 11,12,13,14, में 1.012 हैक्टयर नहरी व .253 हैक्टयर बारानी0.759 हैक्टयर बारानी रकबा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज थी प्रार्थी द्वारा उपरोक्त जमीन बेचने का प्रस्ताव प्रार्थी के साथ रखा प्रार्थी को जमीन की आवश्यकता थी इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थी का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए उपरोक्त जमीन में से खाता स0 27/79 मुरबा न0. 26 किला न0 11,12, प्रत्येक में 0. 253 हैक्टयर बारानी कुल 0.506 हैक्टयर रकबा बारानी गुवलिंग 1,80,000/–रूपये अक्षरे एक लाख अस्सी हजार रूपया में प्रार्थी द्वारा खरीद किया जिसकी रजि0बैयनामा दिनांक 12.02.2015 को प्रार्थी के नाम की गई इस जमीन का कब्जा प्रार्थी के पास चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा जब रकबा खरीद किया गया था उस समय अप्रार्थी द्वारा जो लोन लिया था उसे चुकता कर दिया गया था उसके बाद बैयनामा प्रार्थी ने किया था प्रार्थी ने रकबा खरीद करने के बाद राजस्व रिकार्ड में रकबा अपने नाम करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन जानबूझ कर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया जब कि प्रार्थी द्वारा रकबा खरीद किया गया उस समय कोई लोन आदि नही था तथा प्रार्थी के नाम रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने में किसी प्रकार से कोई कानूनी रूकावट नही थी लेकिन पटवारी हल्का द्वारा जानबूझ कर इंतकाल दर्ज नही किया इसी बीच में अप्रार्थी स0 2 द्वारा जो रकबा बाबी अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज था क्योकि राजस्व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

रकबा सारा अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज था उसमें 2 बीघा रकबा अप्रार्थी ने प्रार्थी को बेचान कर दिया था तथा कब्जा भी प्रार्थी को सौंप दिया था लेकिन पटवारी हलका से मिलकर लोन ले का जब कि 2 बीघा रकबा उसके द्वारा बेचान किया हुआ था तथा कब्जा थीं को दिया हुआ था तथा प्रार्थी उस पर काबिज चला आ रहा था प्रार्थी दारा बार बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता रहा मगर आज तक इसमें कोई कार्यवाही नही हुई जब कि प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में रकबा अपने नाम करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया कि उपरोक्त रकबा खरीद के आधार पर प्रार्थी के नाम दर्ज किया जावे मगर तहसीलदार प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया तथा मौखिक रूप से कहा कि आप सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके आदेश प्राप्त करे जिस पर वादी यह वाद प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि खरीद की गई है तथा प्रार्थी का कब्जा भी मौके पर है तथा आज तक किसी भी न्यायालय द्वारा प्रार्थी के द्वारा खरीद की गई भूमि बैयनामा को चुनौती नही दी आज भी रजि0बैयनामा के आधार पर प्रार्थी हकदार व मालिक है। अब अप्रार्थी के मन में बदनिति आ चुकी है इस बदनिति की वजह से प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दे रहे है कि हम इस जमीन कर लेगें रकबा राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम दर्ज है हम इस जमीन को आग जान कर देगें यदि अप्रार्थी द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया तथा जमीन को आगे बेचान कर दिया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा तथा दावा का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। प्रथम दृष्टि से मामला प्रार्थी के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। लिहाजा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करके अर्ज है कि ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थी इस अमर की सादिर की जावे कि वह वादी के चक 13 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर का खाता स० 27/79 का मुरबा न0 26 के किला न0 11,12, का 0.506 हैक्टयर रकबा के वादी के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में खुद अथवा अन्य किसी की सहायता से मुदअखलत करने से बाज व ममनू रहे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 05.07.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. पेश किया गया। जिसके तथ्यानुसार अपार्थी सं0 1 के नाम चक 13 एफ बडा तह0 श्री गंगानगर के मु0 न0 26 में किला न0 11,12,13,14 की 1.012 हे0 दर्ज है, जिसमें 1 बीघा नहरी व 3 बीघा बारानी दर्ज है, शेष मद गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 व उसके परिवार को कभी अपनी उपरोक्त भूमि को मुंतकिल करने की ना तो जायज आवश्यकता रही, ना ही उसने । प्रार्थी से उपरोक्त भूमि में से किला न0 11,12, कुल 2 बीघा बारानी भूमि विक्रय करने का प्रस्ताव रखा, ना ही दिनांक 12.02.15 को अथवा अन्य किसी रोज कोई बैयनामा करवाया गया, ना ही कब्जा दिया गया बल्कि कब्जा आज भी अप्रार्थी सं0 1 के पास है तथा वह अपने परिवार के साथ मिलकर काश्त कर रही है। असल तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी सं0 1 के पति की आढत धानमण्डी में सुरेश कुमार, प्यारेलाल नसीबकौर नाम से महेन्द्रपाल पुत्र प्यारेलाल जो आढत की दुकान न0 63 में करता है के पास चली आ रही थी। पाला सिंह समय–समय पर फसल बेचा करता था क्योकि पाला सिंह का काका सिंह व दर्शन सिंह भी साथ मिलकर काश्त करते होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 की उपरोक्त कृषि भूमि की कृषि उपज को व अन्य भूमि जो हिस्सा ठेका पर लेकर परिवार द्वारा काश्त की जाती

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

थी कि कृषि उपज फर्म सुरेश कुमार प्यारेलाल की दुकान पर विक्रय की जाती थी, इस प्रकार फर्म सुरेश कुमार प्यारेलाल जिसका मालिक महेन्द्रपाल है के द्वारा फर्म में काका सिंह के नाम से खाता खोला हुआ था तथा जब–जब काका सिंह फसल विक्रय करने के लिए जाता तो फसल की उपज की पर्ची काका सिंह के नाम जारी की जाती, फसल विक्रय की कुछ पर्चीया जो प्राप्त हुई है, असल मय नकल शामिल है। प्रार्थी अजमेर सिंह ने एक फौजदारी प्रकरण गलत तौर से पुलिस थाना मटीली राठान में एफ आई आर न0 168/02.011.18 रो धारा 420 आई पी सी का दर्ज करवाया गया है, जो कि विचाराधीन है, इसमें गलत तौर से पुलिस से मिलीभगत कर गलत चालान पेश करवाया गया तथा वर्तमान में उपरोक्त मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री गंगानगर में प्रकरण सं0 20/19 पर दर्ज है, जिसमें अभियोजन की साक्ष्य में महेन्द्रपाल पुत्र प्यारेलाल, गुरप्रीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, प्रार्थी अजमेर सिंह, गुरदेव सिंह पुत्र दारा सिंह के बयान न्यायालय में हो चुके है, जिनके प्रमाणित प्रतियां शामिल है में महेन्द्रपाल मालिक सुरेश कुमार प्यारेलाल ने दिनांक 03.03.19 को अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि अप्रार्थी खासा के पति पाला सिंह की आढत मेरी दुकान पर थी तथा वह फसल बेचा करते थे, हमारा पाला सिंह के लडके काका सिंह की न दुकान पर पैसों का लेनदेन चलता रहता था, यह सही है कि अजमेर सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह हमारी दुकान पर फसल बेचने के लिए आते थे। जमीन की रजिस्ट्री नसीब कौर ने जो अजमेर सिंह के हक में करवायी है का सौदा 9,50,000 रुपया में हुआ था, रजिस्ट्री दिनांक 13.02.15 को करवायी थी, जमीन की रजिस्ट्री की लिखा पढी, श्री गंगानगर में करवायी गई थी, स्टाम्प वगैरा श्री गंगानगर से लिए थे, नसीब कौर श्री गंगानगर में नहीं आयी। हम रजिस्ट्री लिखवाकर मिर्जेवाला में सब रजिस्ट्रार के पास ले गये थे, वहां पर नसीब कौर की अगूंठा निशानी करवायी थी, गवाह गुरदेव सिंह ने जिरह में यह माना है कि महेन्द्रपाल ने मेरे से कहा था जमीन लेनी है, उसकी लिखा पढी करनी है, मैंने महेन्द्रपाल के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। नसीब कौर के पति पाला सिंह की आढत महेन्द्रपाल की दुकान पर है। जो जमीन नसीब कौर के नाम से है, उसका कब्जा आज भी नसीब कौर के पास है, नसीब कौर ने अपनी हक की जमीन किसी बेचान नहीं की, इसी प्रकार प्रार्थी अजमेर सिंह के भी बयान हुए है, जिससे भी जिरह की गई तथा उसने ने भी जिरह में यह कथन किया है कि जमीन का सौदा 9,50,000 रुपया में हुआ था, जमीन का इकरारनामा पहले हुआ था, यह भी माना है कि मेरी आढत महेन्द्रपाल के पास है, जिसकी दुकान न0 63 ए है। जिस दिन मैंने रजिस्ट्री करवायी, उस दिन रकबा रहन हो तथा मुझे विकसब रजिस्ट्रार ने सूचना दी हो, आगे जिरह में माना है प्रदर्श पी 7 पर ए से वी रहन का नोट दर्ज है, मैंने उक्त जमीन काका सिंह पुत्र पालासिंह को ठेके पर दी थी, ठेके की लिखा पढी नहीं हुई। गुरदेव सिंह, नसीब कौर को लेकर आया था, यह सही है कि आज भी इस जमीन पर कब्जा नसीब कौर का है व नसीब कौर के नाम दर्ज है। गवाह गरपीत सिंह ने जो बैंक का लीगल मैनेजर है ने जिरह में जो कथन किये है, उससे स्पष्ट है कि नसीब कौर कभी बैंक में नहीं गई, ना ही वह नसीब कौर जानता है। इस प्रकार वास्तव में अप्रार्थी सं0 1 के पति की आढत महेन्द्रपाल मालिक सुरेश कुमार, प्यारेलाल के पास थी तथा समय–समय पर फसल विक्रय की जाती रही तथा महेन्द्रपाल के मन में अप्रार्थी सं0 1 की भूमि हडपने की नियत होने के कारण उसने अप्रार्थी सं0 1 की भूमि 2 बीघा का कथित बैयनामा गवाहान के साथ साजिश कर व प्रार्थी के साथ साजिश कर प्रार्थी के हक में धोखा से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

करवाया गया, जो कि ठेका आदि की लिखित की आड़ में करवाया गया, वरना ना तो अप्रार्थी सं0 1 ने अजमेर सिंह को जमीन बेची, ना ही उसको जानती थी तथा ना ही अप्रार्थी सं0 1 को कोई राशि अदा की गई, ना ही दिनांक 13.02.15 को अथवा अन्य किसी रोज प्रार्थी के पास 9,50,000 रुपया था, ना ही वह भूमि खरीद करने की इच्छा रखता था, ना ही उसने भूमि विक्रय करने के लिए कभी अप्रार्थी सं0 1 से सम्पर्क किया। यहां यह भी निवेदन है कि अजमेर सिंह ने अपने बयान में यह कहा है कि सौदा 9,50,000 रुपया में 1,00,000 रुपया रजिस्ट्री के समय दे दिये थे व 8 लाख रुपया पहले से चुका था मगर प्रार्थी ने 8 लाख रुपया देने की कोई लिखित पेश नहीं की, इसके अलावा महेन्द्रपाल ने स्वयं माना है कि रजिस्ट्री हमने श्री गंगानगर में लिखवायी थी, नसीब कौर श्री गंगानगर नहीं आयी थी, मिर्जेवाला में आयी थी तथा उसके अगूंठे करवाये गये, जिससे यह स्पष्ट है कि यदि वास्तव में अप्रार्थी सं0 1 ने भूमि के विक्रय करने का सौदा किया होता व स्वयं बेचनामा लिखवाना होता तो वह भी गंगानगर भी जाती तथा बेचनामा पढ़कर सुनाया व समझाया जाता, लिखने वाले अर्जी नवीस द्वारा अपने रजिस्टर में दर्ज किया जाता, उसके अगूंठे रजिस्टर में लगवाये जाते, स्टाम्प भी वह स्वयं पेश होकर स्वयं के नाम क्रय करती तथा बेचनामा होने पर कब्जा भी देती जबकि उपरोक्त गवाहान की जिरह से यह स्पष्ट है कि कब्जा भी अप्रार्थी सं0 1 का ही है तथा गवाह गुरदेव सिंह ने यह भी कहा है कि नसीब कौर ने अपने हक की जमीन किसी को बेचान नहीं की, कब्जा आज भी नसीब कौर के पास है। इस प्रकार वास्तव में महेन्द्रपाल ने मन अप्रार्थीया की भूमि हड़पने की नियत से अजमेर सिंह के नाम जानबूझकर बनाया करवाया क्योंकि दोनों की मिलीभगत थी, गवाह गुरदेव सिंह ने जिरह में यह भी माना है कि प्रदर्श पी 2 पर क्या लिखा है, मेरे को पढ़कर नहीं सुनाया, मेरे सामने नसीब कौर को लिखा पढ़ी के बाद कोई पैसे नहीं दिए। इस प्रकार वास्तव में मन अप्रार्थीया के साथ ही महेन्द्रपाल, अजमेर सिंह आदि ने मिलकर धोखा किया है, जिसके सम्बंध में अप्रार्थीया अलग से कार्यवाही कर रही है तथा जो अजमेर सिंह ने गलत फौजदारी मुकदमा किया है वह भी उपरोक्त बयानों से स्पष्ट तौर से झूठा साबित होता है। जमाबंदी का अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीया की उपरोक्त भूमि दिनांक 13.02.15 को पी एन बी बैंक के पास रहन थी तथा किसी रहनशुदा भूमि का बेचनामा कानूनन नहीं हो सकता था, ना ही अप्रार्थी सं0 1 को उसके साथ किये गये धोखा की जानकारी व बेचनामा करवाने की जानकारी हुई, यही कारण है कि उसने पी एन बी का बैंक लोन चुकता कर एच डी एफ सी बैंक शाखा, केसरीसिंहपुर से उपरोक्त भूमि पर लोन लिया, अतः प्रति0 सं0 1 द्वारा प्रार्थी के साथ धोखा करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ, बल्कि वास्तव में धोखा महेन्द्रपाल व प्रार्थी ने साजिश रचकर मन अप्रार्थी सं0 1 के साथ किया है। न्यायालय से निवेदन है कि महेन्द्रपाल, अजमेर सिंह, गुरदेव सिंह के बयानों का जिनकी प्रमाणित प्रतियां शामिल है, न्यायधर्मपूर्वक जिरह में आए तथ्यों का अवलोकन करें तो दावा झूठा होना स्पष्ट हो जाता है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि जिस समय उसने रकबा खरीद किया, उस समय अप्रार्थी ने लोन लिया था वह चुकता नहीं किया, जरिये बेचनामा प्रार्थी के हक में करवा दिया, प्रार्थी ने बेचनामा करवाने की कोशिश की मगर जानबूझकर नहीं किया जबकि कथित मुद्दरजित बेचनामा दिनांक 13.02.15 की जमाबंदी का अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि भूमि पी एन बी शाखा एस के एस के पास रहन थी, जो कि दिनांक 20.04.10 को रहनमुक्त होने का इंतकाल सं0 390 किया गया। पटवारी हल्का ने पुलिस थाना मटीली राठान

-Sd-

[illegible] ([illegible])
श्रीगंगानगर

को व तहसीलदार श्री गंगानगर को जो रिपोर्ट पेश की है, जिनकी प्रमाणित प्रतियां शामिल है जिसमें यह स्पष्ट अंकित है कि रहनशुदा भूमि का इंतकाल कानूनन नहीं किया जा सकता है तथा यह कहना भी गलत है कि पटवारी हल्का से मिलकर पुनः लोन लिया गया हो, दरअसल में अप्रार्थी सं0 1 के साथ धोखा हुआ है, वह अनपढ भोली भाली औरत है तथा उसकी इस अवस्था का लाभ उठाकर वादी व महेन्द्रपाल ने मिलकर कूटरचित बैयनामा बनाकर व धोखे से बैयनामा तस्दीक करवाया गया है, इस प्रकार वास्तव में कूटरचित रिकॉर्ड बनवाने व अप्रार्थी सं0 1 को धोखा देने के लिए महेन्द्रपाल व प्रार्थी आदि के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का आदेश दिया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी सं0 1 से कूटरचित रिकॉर्ड बनवाकर धोखे से कथित बैयनामा करवाया गया, जो कि शुरू से शून्य होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 के अधिकारों पर बेअसर है, अतः किसी शून्य दस्तावेज को सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त करवाने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हो सकती। ना तो प्रार्थी को कभी कब्जा दिया गया, ना ही कब्जा कभी जब उसका रहा, ना उसने कभी भूमि को काश्त किया, ना कोई राशि अदा की बल्कि महेन्द्रपाल ने भूमि हडपने की नियत से कथित कूटरचित बैयनामा स्वयं व अन्य से मिलकर बनाया गया है। गवाह गुरदेव सिंह ने स्पष्ट कहा है कि नसीब कौर ने अपने हक की जमीन किसी को बेचान नहीं की व कब्जा आज भी नसीब कौर के पास है, नसीब कौर को कोई पैसे नहीं दिए गए, नसीब कौर के पति की आढत महेन्द्रपाल की दुकान पर है। इसी प्रकार महेन्द्रपाल ने माना है कि अप्रार्थी सं0 1 श्री गंगानगर में आयी ही नहीं, इस प्रकार जब अप्रार्थी सं0 1 कोई बैयनामा लिखवाने के लिए श्री गंगानगर में नहीं गई तथा ना ही अपनी स्वेच्छा से कोई बैयनामा लिखवाया तो कब्जा देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। जैसा कि जवाब दावा में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है। प्रार्थी के हक में किसी प्रकार से सुविधा का संतुलन नहीं है, जैसा कि जवाब दावा में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है, ना ही प्रार्थी को अपरिमेय क्षति होने का प्रश्न है, कब्जा के अभाव में प्रार्थी को भी अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज करने योग्य है।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि वादग्रस्त आराजी नसीब कौर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, नसीब कौर ने प्रार्थी को जरिए रजिस्ट्री रकबा का प्रार्थी को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। आज भी प्रार्थी का उक्त रकबा पर कब्जा है। प्रार्थी के नाम इंतकाल नहीं हुआ है। इसी बीच नसीब कौर ने बैंक से मिल कर इस रकबा पर ऋण ले लिया। प्रार्थी द्वारा नीसब कौर पर धारा 420 आई.पी.सी. का मुकदमा दर्ज किया जिसका चालान न्यायालय में पेश हो चुका है। बैयनामे में प्यारेलाल का कोई लोन देना नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया है। मूल वाद के निस्तारण में समय लग सकता है एवं वादग्रस्त भूमि के खुर्दबुर्द होने से मूल वाद का कोई औचित्य शेष नहीं रह जायेगा। अतः न्यायिक दृष्टि से मूल वाद के निस्तरण तक वादग्रस्त भूमि पर स्थगन जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर चक 13 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर का खाता स० 27/79 का मुरबा न0 26 के किला न0 11, 12 का 0.506 हैक्टयर रकबा के कब्जा प्रार्थी में कोई हस्तक्षेप करने व इस भूमि को अन्यत्र रहन बैय व अन्य दीगर तरीके से हस्तान्तरण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

करने से अप्रार्थीगण निषेध रहे रिकार्ड व मौका की यथास्थिती मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर वाद हाकगील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 09/2019 बउनवान अजमेर सिंह बनाम नसीब कौर रहे।

आदेश आज दिनांक 16.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर